डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय–ज्ञाप

(शैक्षणिक सत्र 2023–24 की सम्बद्धता प्रकियान्तर्गत निर्गत कन्सेण्ट ऑफ एफिलिएशन के उपरान्त स्थलीय–निरीक्षण के संबंध में)

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा आवेदित संस्थाओं/महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सम्बद्धता–आवेदन के कम में, विश्वविद्यालय प्राधिकृत बैठकों में लिये गये निर्णय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ0प्र0 शासन के निर्गत शासनादेश दिनांक 27.12.2023 के द्वारा प्रदत्त आदेश के अनुपालन में, सम्बद्धता की चरणबद्ध प्रक्रियान्तर्गत प्रथम चरण में संबंधित आवेदित संस्थाओं/महाविद्यालयों को कन्सेण्ट ऑफ एफिलिएशन निर्गत किये जा चुके हैं।

तत्कम में सम्बद्धता की द्वितीय–चरण की प्रकियान्तर्गत संबंधित उन स्वैच्छिक संस्थाओं/महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि सम्बद्धता हेतु निर्धारित मानकानुसार स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु सम्बद्धता बाई लॉज, 2018 के बिन्दु संख्या–8.1.2 के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क रू0 1.00 लाख मात्र **(payable Rs. One lac only through demand draft in favour of "Finance Officer, Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow" This fees shall be non refundable.)** तथा संगत नियामक संस्था भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से आवेदित संगत पाठ्यकम/पाठ्यकमों की प्रदत्त मान्यता सम्बन्धी अभिलेख/प्रति को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे सम्बद्धता की द्वितीय–चरण प्रकियान्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही के कम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा आवेदित संस्थाओं/महाविद्यालयों के स्थलीय–निरीक्षण की कार्यवाही की जा सके।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक २।९१ /पत्रा0सं0–1385/DSMNRU/सम्बद्धता/स्थ0निरी0/2023–24 दिनांक २१ .01.2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त संबंधित आवेदित संस्थाओं/महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ।
3. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित आवेदित संस्था की पत्रावली में रक्षित करने हेतु।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव